मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / 9869 /2015 भोपाल, दिनांक 31/10/2015

प्रति,

- कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक

  महात्मा गांधी नरेगा

  जिला – समस्त (म.प्र.)

विषयः– भारत सरकार की इंदिरा आवास निर्माण में मनरेगा से अकुशल श्रम (अतिरिक्त लाभ) के भुगतान संबंधी दिशा–निर्देश।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र क्र. L-15060/6/2013/RE.VII दिनांक 03.07.2014 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / 9019 / MGNREGS-MP/NR-3/2015 भोपाल, दिनांक 23.09.2015।

महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत केन्द्र सरकार से इंदिरा आवास निर्माण के संबंध में प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा जारी संदर्भित पत्र के अनुक्रम में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है :–

इंदिरा आवास योजना होम स्टेट, एफ.आर.ए. मुख्यमंत्री अन्तोदय आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में जो भी मकान निर्माणाधीन है, उनमें मनरेगा से सामान्य जिलों में 90 दिन तथा आईएपी जिलों में 95 दिन की मजदूरी अतिरिक्त दी जा सकती है। इस हेतु भारत शासन द्वारा जून 2014 (30.06.2014) में दिशा–निर्देश जारी कर दिये गये है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि आवास सॉफ्ट में जॉब कार्ड नम्बर दर्ज करेंगे। मनरेगा के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना की लेबर की यूनिक आईडी दर्ज करके 90 दिन तक के लिये एवं 95 दिन तक की मजदूरी आईएपी जिलों में निकालेंगे। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अंतर्गत राशि रू. 12,000 के शौचालय का भी निर्माण किया जायेगा। अतः सामान्य क्षेत्र में 70,000+90 तक दिन की मजदूरी + 12000 शौचालय के लिये तथा आईएपी क्षेत्र में 75,000+95 दिन तक की मजदूरी + 12,000 शौचालय के निर्माण किये जाये। शौचालय उन्हीं को मिलेंगे जिन्होने पूर्व में शौचालय पाने की प्रोत्साहन राशि प्राप्त न की हो। यदि कोई इस तरह के हितग्राही है जिन्हें पात्रता नहीं है इस संबंध में राज्य कार्यक्रम अधिकारी (स्वच्छ भारत मिशन) से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

31/10/15

(अरूणा शर्मा)

अपर मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र.क्रमांक / 9870 / 2015 भोपाल, दिनांक 31/10 / 2015

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, ग्रामीण रोजगार विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
2. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
3. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. आर.के. गोंटिया, मुख्य महाप्रबंधक, मुख्यमंत्री आवास मिशन, पर्यावास भवन, भोपाल।
5. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल, मध्यप्रदेश।
6. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश।
7. समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्यप्रदेश। कृप्या अपने स्तर से सहायक यंत्री/उपयंत्रियों को इस परिपत्र की प्रति उपलब्ध करावें।

31/10/15

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

म.प्र. शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक 2019/MGNREGS-MP/NR-3/2015 भोपाल, दिनांक 23/09/2015

प्रति,

- कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
  महात्मा गांधी नरेगा
  जिला – समस्त (म.प्र.)

विषयः– भारत सरकार की इंदिरा आवास निर्माण में मनरेगा से अकुशल श्रम (अतिरिक्त लाभ) के भुगतान संबंधी दिशा निर्देश।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का पत्र क्र. L-15060/6/2013/RE.VII दिनांक 03/07/2014

महात्मा गॉधी नरेगा अन्तर्गत केन्द्र सरकार की इंदिरा आवास निर्माण के संबंध में प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की इंदिरा आवास योजना, अन्य आवास योजना एवं राज्य सरकार की आवास योजनाओं में मनरेगा से केवल अकुशल मजदूरी के अभिसरण का अतिरिक्त लाभ दिये जाने हेतु भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुक्रम में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है :–

I. महात्मा गॉधी नरेगा से प्रदेश के 51 जिलों में से 41 जिलों में 90 मानव दिवस का तथा शेष 10 आई.ए.पी.जिलों में 95 दिवस के अकुशल मजदूरी भारत सरकार के निर्देशों में निर्धारित 4 स्तरों क्रमशः नींव स्तर, दरवाजे/खिडकी स्तर, छत स्तर एवं कार्य पूर्ण होने के अनुसार दिया जावे। यह प्रावधान इन्दिरा आवास योजना में स्वीकृत अनुदान राशि के अतिरिक्त रहेगा।

विवरण तालिका

क्रं.	निर्माण स्तर	नान आई.ए.पी. 41 जिलों के लिये अनुमत मानव दिवस	आई.ए.पी. 10 जिलों (बालाघाट, मण्डला, डिंडोरी, सिवनी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, छिन्दवाडा) के लियें अनुमत मानव दिवस
1	नीव स्तर	28	30
2	दरवाजे/खिड़की स्तर	24	25
3	छत स्तर	10	10
4	कार्य पूर्ण होने पर	28	30
	योग	90	95

निरन्तर.........

II. भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु प्रदेश को इन्दिरा आवास निर्माण के आवंटित लक्ष्य अनुसार सभी पात्र हितग्राहियों को बिन्दु कमांक 1 अनुसार लाभ दिया जा सकेगा।

III. वित्तीय वर्ष 2014–15 में माह जुलाई 2014 में स्वीकृत वर्तमान में अप्रारम्भ एवं भविष्य में स्वीकृत किए जाने वाले इन्दिरा आवासों के हितग्राहियों को भी महात्मा गॉधी नरेगा के अंतर्गत लाभ दिये जाने हेतु पात्र मान्य किया जा सकेगा।

IV. माह जुलाई 2014 में स्वीकृत तथा वर्तमान में प्रगतिरत इन्दिरा आवास के हितग्राहियों को, भारत सरकार द्वारा निर्धारित 4 स्तरों में से जिस स्तर तक, वह कार्य हो गया होगा, उसं स्तर तक के समानुपातिक उक्त मानव दिवसों को छोड़कर शेष मानव दिवस का लाभ दिये जाने हेतु ई–मस्टर जॉबकार्डधारी हितग्राहियों को जारी किये जा सकेंगे।

V. इंदिरा आवास निर्माण को मनरेगा योजना के अनुमत कार्य की श्रैणी में मान्य किया जाये एवं नवीन स्वीकृत एवं पूर्व से निर्माणाधीन इंदिरा अवास निर्माण को ग्राम पंचायत के एस.ओ.पी. में सम्मिलित की विधिवत अनुमोदन प्राप्त किया जावें।

VI. नान आई.ए.पी. जिलो के लिये केन्द्र सरकार की अनुदान राशि रू0 70000/–एवं मनरेगा योजना से मजदूरी राशि 90 X 159 = 14310/–कार्य की कुल लागत रू0 84310/– इसी प्रकार आई.ए.पी. जिलों के लिये केन्द्र सरकार की अनुदान राशि 75000/– एवं मनरेगा योजना से मजदूरी राशि 95 X 159 = 15105/–कार्य की कुल लागत रू0 90105/– की तकनीकी स्वीकृति जारी की जा सकेगी। जिसकी तकनीकी स्वीकृति सहायक यंत्री, (महात्मा गॉधी नरेगा/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा) द्वारा उन्हे प्रदत्त वित्तीय अधिकारों की सीमा में तकनीकी स्वीकृति जारी की जा सकेगी।

VII. तकनीकी स्वीकृतियॉ केवल ऐसे हितग्राहियों के नाम से जारी की जा सकेगी, जिन्हें जिला पंचायत द्वारा इंदिरा आवास स्वीकृत किया गया हो एवं महात्मा गॉधी नरेगा अन्तर्गत जॉबकार्डधारी परिवार का सदस्य हो।

VIII. आई.ए.पी. एवं नान आई.ए.पी. जिलों हेतु इंदिरा आवास हेतु स्वीकृत अनुदान एवं महात्मा गॉधी नरेगा से निर्धारित मानव दिवस हेतु प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर अनुसार अधिकतम मजदूरी की राशि को जोड़कर प्रथम स्तरीय तकनीकी प्राक्कलन के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा सकेगी।

IX. केवल अकुशल मजदूरी के अभिसरण से संपादित होने वाले इन कार्यो के मस्टर रोल जारी करने एवं मजदूरी भुगतान हेतु नरेगा साफ्ट में डी.पी.आर. फ्रीज करना आवश्यक नहीं होता है।

निरन्तर.........

X. इंदिरा आवास के पात्र हितग्राहियों से विधिवत काम की मांग प्राप्त कर उन्हें पावती दी जावेगी तथा यथासंभव हितग्राही परिवार के सदस्यों के नाम से एक साथ 4 सप्ताह तक के मस्टर रोल जारी किये जा सकेगें।

XI. उक्त कार्यो का उपयंत्री द्वारा निर्धारित निर्माण स्तरों के अनुसार भौतिक सत्यापन करते हुए फोटोग्राफ लिया जावेगा। माप पुस्तिका में इंदिरा आवास का केवल फर्श का माप अंकित किया जावेगा। न्यूनतम 20 वर्ग मीटर फर्श का क्षेत्रफल होने पर निर्धारित निर्माण स्तर का मजदूरी भुगतान मस्टर रोल पर सत्यापित किया जावेगा। समय–समय पर लिये गये फोटोग्राफ नरेगा साफ्ट में अपलोड किये जावेगें।

XII. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना के अन्तर्गत महात्मा गाँधी नरेगा के अभिसरण से संपादित कराये जा रहें कार्यो में आवश्यकता अनुसार उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप पृथक निर्देश जारी किया जा सकेगा।
(उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते है)

22/9/15

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र./ 9020/ MGNREGS-MP/NR-3 /2015 भोपाल, दिनांक 23/ 09/ 2015

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, ग्रामीण रोजगार विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
2. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
3. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. आर.के. गोंटिया, मुख्य महाप्रबंधक मुख्यमंत्री आवास मिशन पर्यावास भवन भोपाल।
5. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल मध्यप्रदेश ।
6. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश
7. समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्यप्रदेश। कृपया अपने स्तर से सहायक यंत्री/उपयंत्रियों को इस परिपत्र की प्रति उपलब्ध करावें।

22/9/15

अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग